

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक- 27/03/2019

विषय :- 220 K.V. D/C गोड्डा-दुमका ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु दुमका वन प्रमंडल अंतर्गत कुल-4.5012 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-1290 दिनांक-13.12.2018, पत्रांक-48 दिनांक-16.01.2019 एवं पत्रांक-240 दिनांक-25.02.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में 220 K.V. D/C गोड्डा-दुमका ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल-4.5012 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव की सम्यक समीक्षापरान्त भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-11-09/98-FC दिनांक-13.05.2011, दिनांक-16.06.2011, दिनांक-17.05.2013, पत्र संख्या-11-09/1998-FC(LWE) दिनांक-15.02.2018 एवं पत्र संख्या-7-25/2012-FC दिनांक-05.05.2014 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्य सरकार के निर्णयानुसार सैद्धान्तिक सहमति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है :-

- (i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप में प्रस्तावित 4.5012 हे0 वनभूमि के NPV की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- (iii) यदि NPV दर में किसी प्रकार का संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण को अन्तर राशि जमा करना होगा।
- (iv) प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन की नीचे RoW में Dwarf species के पौधों के वनरोपण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राशि देय होगी।
- (v) प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन निर्माण के क्रम में वन, वन्यप्राणियों एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के शमन (Mitigation) हेतु वन्यप्राणी प्रबंधन योजना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा तैयार की जाएगी तथा इसके कार्यान्वयन हेतु राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- (vi) प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त सभी राशि को CAMPA खाता में जमा करना बाध्यकारी होगा।
- (vii) प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन निर्माण के क्रम में कम से कम वृक्षों का पातन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में 72 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जाएगा।
- (viii) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-F.No-7-25/2012-FC दिनांक-05.05.2014 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।
- (ix) वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour camp स्थापित नहीं किया जाएगा।

o/c

(x) यदि गैर वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour camp स्थापित किया जाता है, तो परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को ईंधन उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार एक वितरण पंजी रखी जायेगी, जिसकी समय-समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस-पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।

(xi) परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के वन एवं वन्यप्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।

(xii) अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।

(xiii) उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा-निर्देश की कंडिका-1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

सैद्धांतिक सहमति के शर्तों के अनुपालन होने के उपरान्त अंतिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-वनभूमि-01/2019-1177 व0प0, राँची दिनांक-27/3/2019

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची बंगला नं0-A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची-834002 को मूल प्रस्ताव की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0-यथोक्त।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-वनभूमि-01/2019-1177 व0प0, राँची दिनांक-27/3/2019

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल, दुमका/गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा/विद्युत कार्यपालक अभियंता, ट्रांसमिशन डीविजन, पोस्ट-मारहो, दुमका-814110 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।